भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1201
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

तेलंगाना सरकार की राज्य एजेंसियों के लिए वित्तीय सहायता

1201. श्री अनिल कुमार यादव मंदादी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि तेलंगाना सरकार केंद्र सरकार से अपनी दो राज्य स्तरीय एजेंसियों अर्थात तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो (टीएसएएनबी) और तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (टीएससीएसबी) को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का बार-बार अनुरोध कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य की दोनों एजेंसियों के संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार के अनुरोध पर लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): जी महोदय।

(ख): तेलंगाना सरकार के अनुरोध की जाँच की गई और मंत्रालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह 'पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' योजना के अंतर्गत राज्य के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहले से स्वीकृत आवंटन से परे था।

(ग): राज्य को सितंबर, 2024 में इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है ।

*****